

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के झापांक 212/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री भरत साह, पिता- स्व0 कमल साह, सा0- करौती बाजार, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 12/1987(उदाकिशुनगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि वे उक्त अनुज्ञप्ति पर कतिपय कारणवश ससमय गन क्रय नहीं कर सके हैं। अब वे उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करवाना चाहते हैं।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत श्री भरत साह को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 12/1987(उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री साह को निदेश दिया जाता है कि वे दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 12/1987(उदाकिशुनगंज थाना) को मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 12/1987(उदाकिशुनगंज थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त होने के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

रु०
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

झापांक.....53...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....14-02-2014.....

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री भरत साह, पिता- स्व० कमल साह, सा० करौती, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2
14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा